



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

फार्म भरने की अंतिम
तिथि: 07.10.2017

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
एवम्

परीक्षा की तिथि:
10.12.2017

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, ज्ञानदीप परिसर, बड़गाँवा, नामकुम, राँची
(छात्रवृत्ति परीक्षा कोषांग) झारखण्ड, राँची।

विज्ञप्ति संख्या - 55/2017

एतद् द्वारा सभी अभिभावकों/छात्रों/छात्राओं/प्रधानाध्यापकों/प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारियों/जिला शिक्षा अधीक्षकों/जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशकों को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने विद्यालयों में अध्ययनरत् मेधावी छात्र/छात्राओं के अग्रेतर शिक्षण में प्रोत्साहन एवं सहयोग हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए तीन प्रकार की छात्रवृत्ति योजना लागू की है:-

- (क) राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति (ख) राज्य मेधा छात्रवृत्ति
(ग) राज्य निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति

2. परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र/छात्राओं की पात्रता:-

- (1) राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा योजना (ग्रामीण) (2017-2018)- इस योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकित एवं अध्ययनरत् जैसे छात्र/छात्रा शामिल होने के पात्र होंगे जो ग्रामीण प्रखण्ड में अवस्थित विद्यालयों से कक्षा 8 (आठ) की परीक्षा उत्तीर्ण किए हों एवं नवम् वर्ग में अध्ययनरत् हो तथा जिनके अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपये (महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों को छोड़कर) तक हो।
- (2) राज्य मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा (2017-18)- इस योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य के सरकारी विद्यालयों में वर्ग 7 (सात) में नामांकित एवं अध्ययनरत् जैसे छात्र/छात्रा शामिल होने के पात्र होंगे जो वर्ग 6 (छह) की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किए हों।
- (3) राज्य निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा (2017-2018)- इस योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य के सरकारी विद्यालयों में वर्ग 8 (आठ) में नामांकित एवं अध्ययनरत् जैसे छात्र/छात्रा शामिल होने के पात्र होंगे जो वर्ग 7 (सात) की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण हुआ हो तथा अपने समूह में प्रथम तीन स्थान प्राप्त किये हों (अर्थात् प्रत्येक विद्यालय से तीन छात्र एवं तीन छात्रा आवेदन भर सकते हैं।) तथा जिनके पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 24,000/- (चौबीस हजार) रुपये से कम हो।

3. परीक्षा का प्रश्न-पत्र एवं स्तर :-

- (1) राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति योजना-यह छात्रवृत्ति भारत सरकार के निदेशानुसार विद्यालय स्तर पर नवम् एवं दशम् वर्ग के ग्रामीण प्रखण्ड के छात्र/छात्रा को देय है। इस परीक्षा के लिए प्रश्न आठवीं कक्षा के स्तर का होगा तथा सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार के होंगे।
- (2) राज्य मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा-इस छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए प्रश्न छठवीं कक्षा के स्तर का होगा तथा सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) होंगे।
- (3) राज्य निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा - इस छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए प्रश्न सातवीं कक्षा के स्तर का होगा तथा सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार के होंगे।

4. तीनों परीक्षाओं के लिए विषयवार अंकों का विभाजन :-

विषयवार अंकों का विभाजन निम्न प्रकार होगा :-

विषय	परीक्षा का नाम		
	राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा	राज्य मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा	राज्य निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा
1. हिन्दी	40	40	40
2. अंग्रेजी	20	20	20
3. गणित	40	40	40
4. प्राकृतिक विज्ञान	40	40	40
5. सामाजिक विज्ञान	40	40	40
6. बौद्धिक योग्यता	20	20	20
योग	200	200	200

5. परीक्षा की तिथि एवं समय :-

राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति योजना, राज्य मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा एवं राज्य निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा राज्य अन्तर्गत प्रखण्ड मुख्यालयों में स्थित परीक्षा केन्द्र पर दिनांक 10.12.2017 (रविवार) को पूर्वाह्न 10.00 (दस) बजे से अपराह्न 01.00 (एक) बजे (कुल तीन घंटे) तक आयोजित होगी।

6. छात्रवृत्ति की राशि :-

- (1) राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति योजना - इसके अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को नवम् एवं दशम् वर्ग में प्रतिमाह 250.00 (दो सौ पचास) रुपये (वर्ष में कुल 10 माह के लिए) छात्रवृत्ति के रूप में देय होगी। कक्षा 10वीं में छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्रा को वर्ग 9वीं की वार्षिक परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा।
- (2) राज्य मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा- इसके अन्तर्गत चयनित छात्र/छात्राओं को कक्षा 8 से 10 तक 200.00 (दो सौ) रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में देय होगी। यह छात्रवृत्ति आगामी वर्षों में तभी दी जायेगी जब वे 8वीं तथा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होंगे।
- (3) राज्य निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा- इसके अन्तर्गत चयनित छात्र/छात्राओं को कक्षा 8 से 10 तक 200.00 (दो सौ) रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में देय होगी। यह छात्रवृत्ति आगामी वर्षों में तभी दी जाएगी जब वे कक्षा 8 से 9 की वार्षिक परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होंगे।

7. परीक्षा शुल्क :-

तीनों छात्रवृत्ति परीक्षाएँ पूर्णतः निःशुल्क हैं। आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।

8. आवेदन पत्र को कैसे प्राप्त करें:-

तीनों छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु निःशुल्क मुद्रित आवेदन पत्र संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिले में कार्यरत प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को हस्तगत कराएँगे। प्रधानाध्यापक अपने छात्र/छात्राओं को आवेदन पत्र उपलब्ध कराएँगे। आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के Website: www.jac.jharkhand.gov.in या www.jac.nic.in से download कर आवेदन पत्र प्राप्त करें।

9. आवेदन-पत्र जमा करने का स्थान:-

सभी परीक्षार्थी पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र अपने विद्यालय में जमा करेंगे। विद्यालय के प्रधान सभी आवेदन पत्र को जातिवार अलग-अलग कोटि तैयार कर अपने संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में ससमय हस्तगत करायेंगे। प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी आवेदन पत्रों की भलि-भाँति जाँच कर पूर्ण विवरणी के साथ संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में हस्तगत करायेंगे।

10. प्रवेश पत्र प्राप्ति स्थल :-

तीनों छात्रवृत्ति परीक्षाओं का प्रवेश पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित प्रधानाध्यापक को हस्तगत करायेंगे। प्रधानाध्यापक, परीक्षा के पूर्व प्रवेश पत्र संबंधित छात्र-छात्राओं को हस्तगत करायेंगे।

11. किसी प्रकार की असुविधा की स्थिति में टेलीफोन नं. 0651-6454027 एवं टोल फ्री नं. 18003456523 से सम्पर्क किया जा सकता है।

JAC/छात्रवृत्ति/03/05/SECY/539/17
Dt. - 12.09.2017
D.O.P. - 13.09.2017

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- नोडल पदाधिकारी
छात्रवृत्ति परीक्षा, योजना,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, झारखण्ड, राँची।